If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member 3. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12011/2/2017-Estt. CPC]
T. P. N. SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 286.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उद्योग मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 1987 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया हो या किए जाने का लोप किया गया हो, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में डिस्पैच राइडर पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (डिस्पैच राइडर) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे आबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अहर्ताएं आदि**.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त/अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** .—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** -—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

File No. A-31011/2/2017-ESTT. (Computer No. 3011651)
Generated from eOffice by GANESH SINGH, DS(GS)-Admin, DEPUTY SECRETARY (ADMIN), CPC on 22/12/2025 01:04 pm

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. डिस्पैच राइडर	01 (2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2, (19900-63200 रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी/न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की स्थिति में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
आवश्यक: i. ऑटोरिक्शा की विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; ii. ऑटोरिक्शा चलाने का दो वर्ष का अनुभव हो; iii. ऑटोरिक्शा यंत्र-क्रिया का ज्ञान हो (अर्थात अभ्यर्थी को वाहन की छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में योग्य होनी चाहिए); iv. अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने की योग्यता **वांछनीय:** i. 8वीं कक्षा उत्तीर्ण; ii. होमगार्ड या सिविल वॉलनटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा **टिप्पणी:** यदि चयन के किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से अनुभव से संबंधित अर्हता शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन/पुनर्नियोजन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	**आमेलन:** रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) स्तर 1 में नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे नियमित डिस्पैच राइडर या समूह 'ग' कर्मचारियों से जिनके पास स्तंभ 8 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता और अनुभव हो। भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन सशस्त्र बलों के ऐसे कार्मिकों के बारे में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहते दिया जा सकता है। **टिप्पणी:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (स्थापना) या उप-सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रोरसायन विभाग – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रोरसायन विभाग –सदस्य; और 3. अवर सचिव, (स्थापना), उर्वरक विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12011/1/2017-स्थापना-सीपीसी]

टी.पी.एन. सिंह, अवर सचिव

File No. A-31011/2/2017-ESTT. (Computer No. 3011651)
Generated from eOffice by GANESH SINGH, DS(GS)-Admin, DEPUTY SECRETARY (ADMIN), CPC on 22/12/2025 01:04 pm

New Delhi, the 21st August, 2018

G.S.R. 286—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Industry, Department of Chemicals and Petrochemicals (Despatch Rider) Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Ministry of Chemicals and Fertilizers, the Department of Chemicals and Petro-chemicals (Despatch Rider) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix .—The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in the columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.—The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Despatch Rider	1 One (2018) Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19900-63200/-).

Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panji Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and

File No. A-31011/2/2017-ESTT. (Computer No. 3011651)
Generated from eOffice by GANESH SINGH, DS(GS)-Admin, DEPUTY SECRETARY (ADMIN), CPC on 22/12/2025 01:04 pm

	Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Essential: (i) possession of a valid driving license for Autorickshaw; (ii) Two years' experience in driving Autorickshaw; (iii) knowledge of Auto rickshaw mechanism (i.e. the candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iv) Ability to read English and Hindi. **Desirable:** (i) Pass in the 8th standard. (ii) three years' service as Home Guard or Civil Volunteers. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable

Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years	Deputation or absorption or re-employment failing which by direct recruitment.	**Absorption:** From amongst the regular Group 'C' employees in level-1 in the pay matrix (Rs.18000-56900/-) in the Department of Chemicals and Petro-chemicals failing which from regular Despatch Rider or Group 'C' employees from other Ministries of the Central Government who possess the qualification and experience prescribed for direct recruits in Column 8. For Ex-Servicemen Deputation or re-employment The Armed forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on

File No. A-31011/2/2017-ESTT. (Computer No. 3011651)
Generated from eOffice by GANESH SINGH, DS(GS)-Admin, DEPUTY SECRETARY (ADMIN), CPC on 22/12/2025 01:04 pm

		re-employment. **Note.** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petro-chemicals – Chairperson 2. Under Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member; and 3. Under Secretary (Establishment), Department of Fertilizers - Member.	Not applicable.

[F. No. A-12011/1/2017-Estt. CPC]

T. P. N. SINGH, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 287.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि एवं सहकारिता विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 के, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2018 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें ये होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

File No. A-31011/2/2017-ESTT. (Computer No. 3011651)
Generated from eOffice by GANESH SINGH, DS(GS)-Admin, DEPUTY SECRETARY (ADMIN), CPC on 22/12/2025 01:04 pm